बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:–3/अ0प्र0–1–09/2017 57 /पटना, दिनांक :– 6-11-2020

श्री महेन्द्र चौधरी, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा के विरूद्ध भोजपुर जिला अंतर्गत TO5 से सेमरा पथ का 330 मीटर कार्य स्वीकृत रेखांकन से हटकर बाँध पर कराये जाने एवं इस विचलन के कारण 30 मी0 का दोहरा भुगतान करने तथा इस पथ के साथ–साथ सरैया सिन्हा पथ से पाण्डेय टोला पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराने एवं LO22 PWD रोड से रामशहर पथ के PCC भाग में erosion होने के आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन कार्यालय आदेश सं0–345 दिनांक 18.07.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1365 अनु0 दिनांक 30.01.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इससे असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(2) के तहत श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक 1225 अनु0 दिनांक 30.05.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री चौधरी द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 03.07.2020 समर्पित किया गया, जिसमें प्रथम आरोप के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा प्रभार ग्रहण के पूर्व GSB, WBM Gr-II एवं WBM Gr-III का कार्य पूर्ण हो चुका था। उन्हें प्रभार देने के क्रम में पूर्व के कनीय अभियंता द्वारा इस पथ के आरेखण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी। तदोपरांत उनके द्वारा इसके ऊपर 20 मी0मी0 के Premix carpet एवं Seal Coat Type 'B'(Flexible pavement) का कार्य सधन जाँच कर विशिटियों के अनुरूप कराया गया।

दूसरे आरोप के संदर्भ में कहा गया है कि एम0आर0–3054 योजनान्तर्गत बबुग्र पी0डब्लु0डी0 पथ के मखदुमपुर से बिन्दगॉमा पथ की मरम्मति कार्य में बाँध पर कराये गये TO5 से सेमरा पथ का 300 मी0 भाग शामिल नहीं है, जो मापी पुस्त संख्या–3533 पृष्ठ संख्या–24 पर अवलोकन किया जा सकता है। आरोप में 300मी0 लम्बाई के स्थान पर 300 मी0 दर्शाया जाना Error of Calculation है।

तीसरे आरोप के संदर्भ में अपने द्वितीय बचाव बयान में उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण के समय पथ द्वितीय वर्ष के अनुरक्षण में था। पहले वर्ष में अनुरक्षण कार्य पूर्ण हो गया था और द्वितीय वर्ष में 730 मी0 में अनुरक्षण कार्य हो चुका था और 287 मी0 में ग्रामीणों द्वारा कार्य नहीं करने दिया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा अनुरक्षण मद में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी। ग्रामीणों के बाधा डालने के कारण ही आंशिक भाग, जो गाँव के अन्दर था, का अनुरक्षण कार्य नहीं करने दिया गया तथा निजी जमीन मानकर Flank को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पथ के दोनों ओर रैयती जमीन रहने के कारण

Flank में मिट्टी कार्य नहीं किया जा सका एवं इसका भुगतान भी नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में विभाग द्वारा असहमत होने का कोई तकनीकी कारण नहीं है।

5. श्री चौधरी के द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि डी0पी0आर0 में किये गये प्रावधान में कुल पथ की दुरी 997मी0 है। पथ का कार्य दो भागों में सम्पन्न किया गया है। एक भाग 695मी0 सेमरा गाँव के अन्तर्गत किया गया है तथा बांकी बचे हुए भाग को बॉध पर सम्पन्न किया गया है, जो कोर नेटवर्क का अंश है। ग्रामीण भाग में सम्पन्न किये गये कार्य के लिए मूल प्रावधान 150मी0 सी0सी0पी0 की जगह 180मी0 का निर्माण किया गया तथा बी0टी0 कार्य का प्रावधान, जो 847मी0 था, में से 817 मी0 में ही कार्य सम्पन्न किया गया। इस प्रकार कुल 997मी0 लम्बाई में ही कार्य सम्पादित हुआ है एवं 30मी0 का अधिकाई/दोहरा भुगतान नहीं हुआ है। तीसरे आरोप के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पथ में पहले वर्ष का अनुरक्षण कार्य पूर्ण किया गया है। द्वितीय वर्ष में 730 मी0 में अनुरक्षण कार्य हो चुका था और 287 मी0 में ग्रामीणों द्वारा कार्य नहीं करने दिया गया, जिसका भुगतान भी नहीं किया गया है। उक्त आधारों पर श्री चौधरी का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य पाया गया है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री महेन्द्र चौधरी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री महेन्द्र चौधरी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त किया जाता है।

21/11/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–09/2017 1722 /पटना, दिनांक :– 6.11.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा/डुमरॉव/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री महेन्द्र चौधरी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/2020

अभियंता प्रमुख